(ख) कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 2,52,000 रु० है। कम्पनी के 31-3-1965 के अन्तिम लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार, प्रतिभूति रहित ऋण 1,06,04,808 रु० की राशि के थे।

(ग) कम्पनी के सदस्यों को व्यक्तिगत पूंजी की बाबत सूचना देना, कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत अपेक्षित नहीं है।

गोल्चा प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के भूतपूर्व मालिकों द्वारा राजनीतिक दलों को दान

4814. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या **समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोल्चा प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड के भूतपूर्व मालिकों ने गत तीन वर्षों में विभिन्न राजनीतिक दलों को कुल कितनी राशि दान में दी?

समवाय कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : कम्पनी अधिनियम, 1956, एक कम्पनी के हिस्सेदारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अन्तर्गत, राजनैतिक दलों को दिये गये चन्दों को विनियमित नहीं करता। और न ही ये चन्दे, कम्पनी रजिस्ट्रारों को प्रकट करना अपेक्षित है। अतः सूचना उपलब्ध नहीं है।

मैसर्स गोल्चा प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड

4815. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या **समवाय कार्य** मंत्री मैसर्स गोल्चा प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड के बारे में 10 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2208 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसर्स गोल्चा प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड के विरुद्ध सभी दावे प्राप्त हो गए हैं और यदि हां, तो सरकारी परिसमापक इन दावों की जांच कब तक कर लेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है कि सरकारी परिसमापक छबिगृह का ठेका देने के बारे में न्यायालय से प्राप्त हुए आदेशों का उल्लंघन न करे; और

(ग) जनता के धन को अविलम्ब लौटाने के कार्य को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी परिसमापक द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

समवाय कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) 31 जनवरी, 1970 तक, जो दावों को प्रस्तुत करने की तारीख निश्चित की गई थी, सरकारी समापक के पास 2525 दावे, प्रस्तुत किये गये थे। मिसिल किये दावे, सरकारी समापक द्वारा परिनिरीक्षित किये जा रहे हैं तथा उनकी, न्यायालय के आदेशानुसार, कम्पनी के लेखे की किताबों के पूर्ण हो जाने पर, पुनः परीक्षा की जायेगी।

(ख) परिसमापित करने वाले न्यायालय के विशिष्ट आदेशान्तर्गत, सिनेमा गृहों के चलाने के लिये ठेके, निरुपादित किये गये है। सरकारी समापक द्वारा, न्यायालय के आदेशों के अतिक्रमण का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग).(क) दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Effect of Strike on South Eastern Railway on Public Sector Steel Plants

4816. SHRI MANIBHAI J. PATEL : Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state:

(a) the effect of the continued strike on the South Eastern Railway and the consequent disruption to movement of raw materials to the Public Sector Steel Plants in the Eastern region;

(b) whether he is aware that the coal stocks in the Steel Plants have also run out on account of this; and